जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./19/डी– 626A दिनांकः– 18/07/2019

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **149वीं बैठक दिनांक:** 18.07.2019 को 12:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं.	जोन संख्या	प्रस्ताव सं.	विषय	निर्णय
1.		149:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 148वीं बैठक दिनांक 08.07.19 के कार्यवाही विवरण पुष्टि एवं बैठक 130वीं से 148वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 148वीं बैठक दिनांक 08.07.19 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं बैठक संख्या 130 से 148 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये एक सप्ताह में शेष प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	12	149:2	उच्च शिक्षा विभाग के अधीन हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 148वीं बैठक दिनांक 08.07.19 के निर्णयानुसार हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भू.सं. यू–1 क्षेत्रफल 12.00 हेक्टेयर पूर्व में आवंटित भूमि को निरस्त करते हुये इसके स्थान पर दहमीकला की संस्थानिक योजना के समीप लगभग 1.5 किमी दूरी पर ग्राम घेंघा में जविप्रा की संस्थानिक योजना में एक ही स्थान पर 12 हैक्टयर भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। जिसके संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु दिनांक 15.07.19 को पत्र भिजवाया जा चुका है। उक्त आवंटन के संबंध में कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय द्वारा श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सचिवालय में दिनांक 17.06.19 को आयोजित बैठक का उल्लेख करते हुये दिनांक 17.07.19 को जरिये मेल पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह अंकन किया गया है कि पूर्व में उन्हे ग्राम दहमीकलां की संस्थानिक योजना में भूखण्ड का आवंटन किया गया था एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के द्वारा 148वीं बैठक दिनांक 08.07.19 को ग्राम घेंघा में आवंटित की गई भूमि का आवंटन उन्हे स्वीकार नही है। कुलपति महोदय द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आगे यह भी अंकित किया है कि घेंघा मे स्थित भूमि की मांग उनके द्वारा नही की गई थी, साथ ही इसका आवंटन कानूनसम्मत भी नही है, क्योंकि हरिदेव जोशी पत्रकारिता ओर जनसंचार विश्वविद्यालय विधानसभा में पारित अधिनियम द्वारा 2019 में अस्तित्व में आया है और गत बैठक में किया गया आवंटन वर्ष 2016 के प्रार्थना पत्र के आधार पर कर दिया गया है। इसी पत्र में कुलपति महोदय द्वारा ग्राम दहमीकलां के संस्थानिक प्लाट संख्या 7 के 110901.76 वर्गमीटर जमीन को आवंटन हेतु चाहा है तथा साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि इसी योजना के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 5 में से 15000 वर्गमीटर जमीन और आवंटित की जाये ताकि आवश्यकता की पूर्ति हो सके, क्योंकि मौजूदा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय को भवन, परिसर, छात्रावास आदि के लिये कम–से–कम 125000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में ग्राम दहमीकला मे अनुमोदित संस्थानिक योजना के संबंध में निम्न निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है :– 1. भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक संख्या 148 दिनांक 08.07.19 में एजेण्डा संख्या 148:16(1) से हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को आवंटित 12 हैक्टयर भूमि, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को सचिव जविप्रा के पत्र क्रमांक डी–2880 दिनांक 15.07.19 से प्रेषित किया गया है, को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। 2. दहमीकलां संस्थानिक योजना के भूखण्ड संख्या–7 क्षेत्रफल 110901.76 वर्गमीटर एवं इसके साथ के लगते हुये दक्षिणी दिशा के रिजर्व भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 12725 वर्गमीटर है, कुल 123626.76 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। नियमानुसार एक विश्वविद्यालय को 12

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
सदस्य सचिव एवं
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

				हैक्टयर भूमि आवंटित की जा सकती है और उस दृष्टि से उक्तानुसार आवंटन किये जाने से उक्त विश्वविद्यालय को सम्पूर्ण भूमि एक ही स्थान पर उपलब्ध हो पायेगी बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी भूमि आंवटन नीति–2015 में वर्णित प्रावधान एवं तत्पश्चात् राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.16 में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फास्ट्रेक्चर हेतु 1000व.मी. तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की हुई है। इससे अधिक/निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति वांछनीय है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर "हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविधालय" को तहसील फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भू.सं. यू–1 क्षेत्रफल 12.00 हेक्टेयर पूर्व में आवंटित भूमि एवं भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक संख्या 148 दिनांक 08.07.19 में एजेण्डा संख्या 148:16(1) जविप्रा की दहमीकला की संस्थानिक योजना के समीप लगभग 1.5 किमी की दूरी पर ग्राम चेंघा में जविप्रा की संस्थानिक योजना में एक ही स्थान पर आवंटित क्षेत्रफल 12.00 है. भूमि को निरस्त करते हुए इनके स्थान पर दहमीकलां संस्थानिक योजना के भूखण्ड संख्या–7 क्षेत्रफल 110901.76 वर्गमीटर एवं इसके साथ के लगते हुये दक्षिणी दिशा के रिजर्व भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 12725 वर्गमीटर कुल 123626.76 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(संचिता बिश्नोई)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. उपनिदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 149वीं बैठक दिनांक 18.07.2019 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूची:–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	एल.पी.सी. में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री टी. रविकान्त	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	[signature]
2.	श्रीमती अर्चना सिंह	सचिव	सदस्य	[signature]
3.	श्री आदित्य कुमार पारीक	निदेशक (वित्त)	सदस्य	[signature]
4.	श्री वी.एस. सुंडा	अभियांत्रिकी–II	सदस्य	[signature]
5.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमति श्रुति भारद्वाज	अति॰ आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्रीमती संचिता बिश्नोई	अति॰ आयुक्त (एलपीसी) एवं (पूर्व/पश्चिम)	सदस्य सचिव	[signature]
8.	श्री गिरीश पाराशर	अति॰ आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	[signature]
9.	श्री ब्रह्मप्रकाश शर्मा	अति॰ निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री सतीश बिनायक्या	विशेषाधिकारी (आरएण्डएम)	विशेष आमंत्रित	[signature]
11.	श्री बीरबल सिंह	उपायुक्त, जोन–1 व 13	विशेष आमंत्रित	[signature]
12.	श्रीमती प्रिया बलराम	उपायुक्त, जोन–2, 3 व 6	विशेष आमंत्रित	[signature]
13.	श्री बलवन्त सिंह लिग्री	उपायुक्त, जोन –5, 8 एवं पीआरएन	विशेष आमंत्रित	[signature]
14.	श्री अबू सूफियान चौहान	उपायुक्त, जोन–7, 9, 10 व 14	विशेष आमंत्रित	[signature]
15.	श्री सुभाष मेहरिया	उपायुक्त, जोन– 4, 11 व 12	विशेष आमंत्रित	[signature]
16.	श्री सीताराम मीणा	उपनिदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित	[signature]
17.				
18.				
19.				
20				

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }